अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामसर बमुकाम रामसर
बइजलास श्री राम लाल मीणा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या –12/2025 अनवान

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1.जमीला पत्नी साले 2.मुसा पुत्र बचल जाति मुसलमान निवासी खारची तहसील रामसर जिला बाडमेर।		1.असकर पुत्र कारू खां जाति मुसलमान निवासी खारची तहसील रामसर जिला बाडमेर 2..तहसीलदार रामसर।

सहायक कलक्टर ★ रामसर (बाड़मेर) ★

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 12/2025 दिनांक :- 24.04.2026

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू व हाजरी मिनजामिन मुदई व मुहायला पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि मौजा **खारची** पटवार मण्डल **बबुगुलेरिया** के खसरा संख्या 83 रकबा क्रमशः **4.4308, 6.7016** हेक्टैयर की भूमि में तहसीलदार रामसर द्वारा प्राथमिक विभाजन अनुसरण में प्रस्तुत वादी एंव प्रतिवादीगण का खसरा रकबा व लगान अलग –अलग करनें के आदेश दिये जाते हैं तदनानुसर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे । तदनासुार डिक्री पर्चा जारी हो। वादीगण एंव प्रतिवादीगण खर्चा अपना–अपना वहन करें।

बीज...................... मुबलीग...बावत

यह खर्चा इस मुकदमे के मय सद व शरद.......फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयावी तक को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.4.2026 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.एम.रामसर)
सहायक कलक्टर (SDO) रामसर

मुद्दई	रूपया	पै.	मुददयलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबुत खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प वकालतनाम स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजाना		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.04.27 10:27:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर रामसर
सहायक कलक्टर (SDO) रामसर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :— श्री राम लाल मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या —12/2025

उनवान

वादीगण

1.जमीला पत्नी साले
2.मुसा पुत्र बचल
जाति मुसलमान निवासी खारची तहसील
रामसर जिला बाडमेर।

प्रतिवादीगण

1.असकर पुत्र कारू खां जाति
मुसलमान निवासी खारची तहसील
रामसर जिला बाडमेर।
2.तहसीलदार रामसर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 12/2025 दिनांक :—24.04.2026

निर्णय

संक्षेप मे वाद के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा **खारची** पटवार मण्डल **बबुगुलेरिया** के खसरा संख्या 83 रकबा **6.7016** हेक्टैयर भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण की सयुंक्त खातेदारी भूमि आयी हुई है जिसमें हिस्से खुले हुये है तथा मौखिक बंटवाड़ा अनुसार कब्जा काश्त करते आ रहे है तथा उसी अनुसार प्रतिवादीगण काबिज है। वादग्रस्त आराजी में बाई मीटीस एण्ड बाउण्डस विभाजन करने हेतु यह वाद दिनांक **27.01.2025** को जरिये अधिवक्ता श्री महेन्द्रसिंह सोढा द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । जिसपर अधिवक्ता श्री रविन्द्र कुमार गोदारा द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया एंव प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी होनें से ओपचारिक रूप से संयोजित किया गया। एंव तहसीलदार रामसर से विभाजन प्रस्ताव चाहा गया। जो तहसीलदार रामसर के पत्रांक/भू.अ./2025/1182 दिनांक 30.06.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ मौजा **खारची** पटवार मण्डल **बबुगुलेरिया** के खसरा संख्या 83 रकबा क्रमशः **6.7016** हेक्टैयर, भूमि में सलग्न तहसीलदार रामसर द्वारा प्राथमिक डिकी की पालना में निम्न विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया।

क्र.स.	खातेदार	खसरा संख्या	रकबा हेक्टैयर	लगान	किस्म	बरंग
1.	मुसा पुत्र बचल हिस्सा 1/2 कौम मुसलमान सा. देह खातेदार जमीला पत्नी साले हिस्सा 1/2 कौम मुसलमान सा. देह खातेदार	83	4.4677	0.13	बा.सो.	लाल
		1	**4.4677**	**0.13**	**बा.सो.**	
2.	आसकर पुत्र कारू सम्पूर्ण हिस्सा जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	83	2.2339	0.07	बा.सो.	हरा
		1	**2.2339**	**0.07**	**बा.सो.**	

उक्त विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार रामसर द्वारा प्राथमिक विभाजन के आदेश की पालना में प्रेषित किया हैं उक्त दोनों अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई उस पर मनन किया गया । प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी वकील द्वारा अपनी सहमती जाहिर की गई । अतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव बाई मीटीस एण्ड बाउण्डस अनुसार अंतिम विभाजन करनें के आदेश पारित किये जाते हैं । तहसीलदार रामसर द्वारा प्रस्तुत विभाजन मुतिब हो तदनानुसार डिकी पर्चा जारी हो। कि अन्तिम डिकी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा शीट में इन्द्राज करना सुनिश्चित करें। खर्च पक्षकारान अपना—अपना वहन करेगें। तदनूसार डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.4.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर रामसर (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.04.27 10:27:16 IST
Reason: SelfAttested

(राम लाल मीणा)
सहायक कलक्टर रामसर

सहायक कलक्टर
(SDO) रामसर

Scanned with OKEN Scanner